कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐ बिलासपुर
न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग कलेक्टर परिसर बिलासपुर

दूरभाष–07752–250777

क्रमांक /पं0क0–122202030241/ 10.12.2020 / 70८ /2024 बिलासपुर दिनांक 22/02/24

प्रति ,

President / Secretary
Mothers Pride Educational society
c/o Mahendra kumar Sharma , D-18
Vidya nagar near shiv mandir disst – Bilaspur(C.G)।

विषयः– अधिनियम की धारा 27 के सबंध में ।
संदर्भ :– संस्था की ओर से जानकारी प्रस्तुत दिनांक 22/02 /2024 ।

....

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत संस्था मदर्स प्राइड एजुकेशनल सोसायटी c/o महेन्द्र कुमार शर्मा डी– 18 विद्या नगर नियर शिव मंदिर जिला बिलासपुर (छ0ग0) । पंजीयन क्रमांक 122202030241 दिनांक 10.12.2020 पर पंजीकृत समिति है। जिस पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है।

संस्था द्वारा वर्ष 2023 की वार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 12/12/2023 की जानकारी नियत प्रारूप पर चालान राशि 12080/– क्रमांक 3729 दिनांक 21.02.2024 कार्यालय मे दिनांक 22/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत संलग्न कार्यकारणी सूची मे निम्नलिखित पदाधिकारीयों एवं सदस्यों के नामों का उल्लेख है :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पद
1	Mr. Sabino D'Souza	President
2	Mr . Sylvester D'Souza	Vice - president
3	Mr. Ramkumar Arya	Secretary
4	Mrs . Vandana D'Souza	Treasurer
5	Mr. ShyamKumar Arya	Joint - Secretary
6	Mrs. Meena Arya	Member
7	Dr. Rajeev Shivhare	Member

(अजय चौबे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐ बिलासपुर संभाग बिलासपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

11AA 576348

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

समितियों के सहायक पंजीयक बिलासपुर संभाग

मदर्स प्राइड एजुकेशनल सोसाइटी

पं.क्रं. 122202030241

दिनांक:- 10/12/2020

सूची की सत्यापित प्रति

(अजय चौबे)
सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएँ बिलासपुर (छ.ग.)

1222020302401
10/12/2020

प्ररूप-एक

(नियम 3 देखिये)

सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

702
22/02/24

1. सोसायटी का नाम : मदर्स प्राइड एजुकेशनल सोसाइटी

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय : C/O MAHENDRA KUMAR SHARMA , D- 18, VIDYANAGAR ,NEAR SHIV MANDIR , BILASPUR (CG)

3. सोसायटी के उद्‌देश्य निम्नलिखित होंगे :

1. स्कूली बच्चो के उत्थान जैसे बच्चो का शैक्षिक एव बौद्धिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास ।

2. नैतिक मूल्यो ,सामाजिक कार्य एव शैक्षणिक नीति के अनुरूप कार्य करने हेतु स्वस्थ वातावरण /परिस्थिति का निर्माण करना ।

3. वन व पर्यावरण एवं स्वच्छ परिस्थिति सतुलन बनाये रखने हेतु सभी आवश्यक ,अत्यावश्यक सुरक्षा व संवर्धन हेतु जागरूकता का कार्य ।

TRUE COPY

4. कौशल विकास योजना के अंतर्गत ललित कला, संगीत कला, वाद्य कला, गायन, सिलाई, कढाई, पेंटिंग, कम्प्यूटर, टंकण एवं अन्य स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

5. मेधावी छात्र- छात्राओं को सम्मानित कर उनके मनोबल को बढ़ाना एवं उन्हे उच्च शिक्षा हेतु मार्गदर्शन कर भविष्य निर्माण मे मदद करना।

6. प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।

7. शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी समाज तक पहुंचाना एवं योजनाओं में सहयोग करना।

8. समाज में बच्चो एवं युवाओ को मुख्य धारा से जोडने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।

(Stamp: सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग)

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध, सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों समिति या शासी -निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं :

क्र.	नाम	पति / पिता का नाम	पता	उपजीविका
1	SABINO DSOUZA	LATE. S.A. DSOUZA	16/132 , INDIRA COLONY, PANI TANKI ,TARBAHAR BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	SERVICE
2	SYLVESTER DSOUZA	LATE. S.A. DSOUZA	C-404, KRISHNA VIHAR,NEAR SHIV MANDIR WARD NO 16, BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	BUSINESS
3	VANDANA DSOUZA	SABINO DSOUZA	16/131, INDIRA COLONY, PANI TANKI,TARBAHAR BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	HOUSE WIFE

प्रबंध कार्यकारणी पंजीयन के समय प्रस्तुत ज्ञापन पत्र की मात्र प्रति है, वर्तमान कार्यकारणी की प्रमाणित सूची नहीं है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

	RAJEEV SHIVHARE	R N SHIVHARE	D-01 INDRAPRASTHA TOWER SAKET APARTMENT NEAR HOTEL EAST PARK AGRASEN CHOWK BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	BUSINESS
5	ANAND KUMAR RAI	G L RAI	137/16 INDIRA COLONY PANI TANKI ,TARBAHAR, BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	BUSINESS
6	ANNPURNA TIWARI	RAMBARAN TIWARI	NAYA PARA KIRTI NAGAR BILASPUR (CG) Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	BUSINESS
7	RAJSHREE DSOUZA	SYLVESTER DSOUZA	C-404 KRISHNA VIHAR,BEHIND SHIV MANDIE WARD 16 BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	SERVICE

5 .छतीसगढ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी विनयम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए है, उपरोक्त प्रतिष्ठान-ज्ञापन के अनुसरण मे सोसायटी बनाने के इच्छुक है और नीचे दिये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति मे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

TRUE COPY

क्र.	नाम	पति / पिता का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	SABINO DSOUZA	LATE S A DSOUZA	16/132 , INDIRA COLONY PANI TANKI ,TARBAHAR BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	[signature]
2	SYLVESTER DSOUZA	LATE S A DSOUZA	C-404, KRISHNA VIHAR,NEAR SHIV MANDIR WARD NO 16, BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	[signature]
3	VANDANA DSOUZA	SABINO DSOUZA	16/131 INDIRA COLONY PANI TANKI,TARBAHAR BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	[signature]
4	RAJEEV SHIVHARE	R N SHIVHARE	D-01 INDRAPRASTHA TOWER SAKET APARTMENT NEAR HOTEL EAST PARK AGRASEN CHOWK BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	[signature]
5	ANAND KUMAR RAI	G L RAI	137/16 INDIRA COLONY PANI TANKI ,TARBAHAR, BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	[signature]
6	ANNPURNA TIWARI	RAMBARAN TIWARI	NAYA PARA KIRTI NAGAR ,BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	[signature]
7	RAJSHREE DSOUZA	SYLVESTER DSOUZA	C-404 KRISHNA VIHAR BEHIND SHIV MANDIE WARD 16 BILASPUR (CG) ,Bilaspur ,Bilaspur ,Chhattisgarh	R. Dsouza

प्रबंध कार्यकारणी पंजीयन के समय प्रस्तुत ज्ञापन पत्र की मात्र प्रति है, वर्तमान कार्यकारणी की प्रमाणित सूची नहीं है।

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर

तारीख:

प्रति,

सोसायटी के रजिस्ट्रार,

साक्षी

हस्ताक्षर ....

नाम: SUBHASH SAHA

पूर्ण पता: HEMU NAGAR BILASPUR (CG)
9827155807

समितियों के सहायक पंजीयक बिलासपुर संभाग

प्रमाणित प्रति

शुल्क 280 चालान क्र. 5721
दिनांक 22/02/24 को जमा किया गया है। जो
पंजीयन क्र. 122202038241 दिनांक 10/12/2020
द्वारा पंजीकृत क्र. संस्था की मूल दस्तावेज
की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी होने का
दिनांक 22/02/2024

TRUE COPY

22/2/24

(अजय चौबे)
सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएँ बिलासपुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

R Barua
हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

11AA 576317

समितियों के सहायक पंजीयक बिलासपुर संभाग

मदर्स प्राइड एजुकेशन सोसायटी
पं. क्र. 122202030241
दिनांक:- 10/12/2020
ज्ञापन की सत्यापित प्रति

(अजय चौबे)
सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएँ बिलासपुर (छ.ग.)

समिति के पंजीयन हेतु नियमावली

1222020302 4 10/12/20

702
22/02/24

1. सोसायटी का नाम : मदर्स प्राइड एजुकेशनल सोसाइटी

2. इस संस्था कार्यालय का पता : C/O MAHENDRA KUMAR SHARMA , D- 18, VIDYANAGAR ,NEAR SHIV MANDIR , BILASPUR (CG)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : जिला स्तर

4. संस्था का उद्देश्य:-

1. स्कूली बच्चो के उत्थान जैसे बच्चों का शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास ।

2. नैतिक मूल्यों ,सामाजिक कार्य एवं शैक्षणिक नीति के अनुरूप कार्य करने हेतु स्वस्थ वातावरण /परिस्थिति का निर्माण करना ।

TRUE COPY

3. वन व पर्यावरण एवं स्वच्छ परिस्थिति संतुलन बनाये रखने हेतु सभी आवश्यक ,अत्यावश्यक सुरक्षा व संवर्धन हेतु जागरूकता का कार्य ।

4. कौशल विकास योजना के अंतर्गत ललित कला, संगीत कला, वाद्य कला, गायन, सिलाई, कढाई, पेंटिंग, कम्प्युटर, टंकण एवं अन्य स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

5. मेधावी छात्र- छात्राओं को सम्मानित कर उनके मनोबल को बढ़ाना एवं उन्हे उच्च शिक्षा हेतु मार्गदर्शन कर भविष्य निर्माण में मदद करना।

6. प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।

7. शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज तक पहुंचाना एवं योजनाओं में सहयोग करना।

8. समाज में बच्चो एवं युवाओ को मुख्य धारा से जोडने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।

सहायक पंजीयक संस्थाएं बिलासपुर

5 . सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :

(अ) सरक्षण सदस्य :- संस्था को जिस व्यक्ति द्वारा अभिदान के रूप में रूपये...10,000...एक मुश्त जमा किया जावेगा, वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य :- जिस व्यक्ति द्वारा संस्था को अभिदान के रूप में रूपये...5000...जमा किया जावेगा, वह आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा! कोई भी आजीवन सदस्य अंतर की राशि रूपये...5000.... देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :- जिस व्यक्ति द्वारा रूपये...150...माह रूपये 1800 प्रतिवर्ष को अभिदान के रूप में जमा किया जावेगा, वह साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने अभिदान दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक अभिदान नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा अभिदान की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

[signature] [signature] [signature]

सदस्यता की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप मे आवेदन करना तथा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। प्रबंधकारिणी समिति को आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

- सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है

भारतीय नागरिक हो ।

आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

समिति के उद् देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो

सद चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी :-

मृत्यु हो जाने पर ।

TRUE COPY

पागल हो जाने पर ।

नियम 5 के अनुसार सोसाइटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने मे असफल रहने पर।

त्याग पत्र देने पर यदि स्वीकृत हो जाता है तो और

नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्कासित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित मे संसूचित किया जाना चाहिए।

9. सदस्यता पंजी :- संस्था कार्यालय मे सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :-

प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय ।

वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व अभिदान जमा करने का रसीद नंबर ।

वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो ।

सदस्यों के हस्ताक्षर ।

10. (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा मे नियम मे 5 (अ) (ब) (स) दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष मे एक बार माह December मे बैठक अनिवार्य होगी । बैठक की तिथि, स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनाक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। यदि बैठक मे कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

विशेष :- समिति के कुल सदस्यों की सखया के 2/3 सदस्यों द्वारा किसी भी विषय पर विचार करने के लिए संस्था के विशेष बैठक बुलाने हेतु अध्यक्ष/सचिव को सदस्यो द्वारा अनुरोध पत्र दिया जावेगा, ऐसे आवेदन पत्र उल्लेखित विषय पर आमसभा आयोजित किया जाकर संकल्प पारित किया जावेगा। विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करन

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पति की ठीक व्यवस्था करना

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।

TRUE COPY

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।

12. प्रबन्धकारिणी का गठन :- नियम 5 (अ. ब. स) मे दर्शाये गये सदस्यो जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारीयों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा :-

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव,
4. कोषाध्यक्ष,
5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य - 2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। यथेष्ट कारण होने पर, उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार से नहीं हो जाता वर्तमान प्रबंध समिति कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य:-

(अ) जिन उद् देश्यो की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक मे प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संप्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय/विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नही की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव को साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन हेतु निर्देश जारी करेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

TRUE COPY

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :

साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 5000.00 व्यय करने का अधिकार होगा।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. कोषाध्यक्ष का अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. बैंक खाता:- प्रत्येक समिति द्वारा पंजीकृत संस्था के नाम से ही खाता संधारित किया जावेगा।

संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000.00 रहेंगे ।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित कार्यकारिणी समिति की मूल हस्ताक्षरित सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का आडिटेड लेखा नियत शुल्क के साथ पंजीयक को प्रस्तुत किया।

22. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक के कुल सदस्यो के 2/3 मतो से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पजीयक, फर्म्स एवं संस्थाए को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत प्रारूप में शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद् दश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

24. सम्पति :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

विवाद :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों पर संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

फर्मों एवं संस्थाओं के सहायक पंजीयक बिलासपुर (छ.ग.)

प्रमाणित प्रति

शुल्क 280 चालान क्र. 5721
दिनांक 22/02/24 द्वारा किया गया है। या
पंजीयन क्र. 122202030241 दिनांक 10/12/20
द्वारा पंजीकृत क्र. संस्था की मूल दस्तावेज
की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी होने का
दिनांक 22/02/24

TRUE COPY

(अजय चौबे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ बिलासपुर (छ.ग.)

RDsouza

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

11AA 576334

समितियों के सहायक पंजीयक बिलासपुर संभाग

मदर्स प्राइड एजुकेशनल सोसायटी

पं.क्र. 122202030241

दिनांक:- 10/12/20

नियमावली की सत्यापित प्रति

(अजय चौबे)
सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएँ बिलासपुर (छ.ग.)